# भारत एवं पाश्चात्य जगत में शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ताः संक्षिप्त अवलोकन

सीमा कुमारी*
डॉ0 प्रतिभा सिंह*

**प्रस्तुत शोध–**पत्र में शिक्षा से जुडे समस्त बिन्दुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास है जो अच्छी शिक्षा के लिए एक अध्यापक को उसका ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें बालक के विषय में ज्ञान शिक्षण विधियों का ज्ञान, समस्यात्मक बालकों का ब्यवहार का निदान एवं उपचार, पाठ्यचर्या–रचना, मापन एवं मुल्यांकन, व्यक्तित्व समायोजन एवं कुसमायोजन एवं परामर्श और निर्देशन, शिक्षक का मनोविज्ञान आदि विषयों पर संक्षिप्त चर्चा शामिल है।

आज हम विज्ञान और तकनीकी के युग में जी रहें हैं, इसने वर्तमान को अभूतपूर्व प्रगति के रास्ते में ला खड़ा किया है। ऐसे में शिक्षा मनोविज्ञान, अध्यन के एक विषय के रूप में शिक्षकों को ऐसी जानकारी एवं आवश्यक मनोरचना प्रदान करता है जिसके सहारे इन चुनौतियों का सामना करने में वे सक्षम होते हैं। शिक्षा मनोविान की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षाविद् पेस्तालॉजी ने कहा है कि यदि आप बालक के प्रति पूर्ण न्याय करना चाहते हैं तो आपको बालक को जानना होगा। चार्ल्स ई0 स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधार शिला माना है। कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनसे शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता सिद्ध होगीः–

सफल शिक्षक के लिए विषय ज्ञान के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि वह उस बालक को भी जाने जिसे उसे शिक्षा देनी है। वास्तव में सीखना, अनुभव द्वारा व्यावहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अतः बालक, जिसे सिखना है, उसकी स्थिति क्या है, यह ज्ञात होना ही चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान विकास की विभिन्न अवस्थाओं– प्रारंभिक बाल्यकाल, पूर्व किशोरावयस्था, के विषय में ज्ञान प्रदान करता है। प्रत्येक अवस्था भी विषेशताएँ, आवश्यकताएँ, अभिरूचियाँ, क्षमताएँ आदि अलग–अलग होती हैं। इस ज्ञान का उपयोग बालक भी शिक्षा में होता है। इनके ज्ञान के आधार पर ही–शिक्षक बालकों में अच्छी–आदतें, अच्छी, रूचियाँ, अच्छे भाव आदि उत्पन्न कर सकता है।

शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को शिक्षण विधियों की जानकारी भी मिलती है। बालक कैसे सीखता है, सीखने के लिए उसे कैसे प्रेरित किया जा सकता है, उसमें रूचि कैसे उत्पन्न की जा सकती है, आदि का ज्ञान शिक्षक को हो जाता है। बालक अच्छी तरह पाठ को समझे, इसके लिए पाठ को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए आदि विविध बातों की जानकारी भी शिक्षक को हो जाती है।

***शोध छात्रा मनोविज्ञान वीर कुँवर सिंह, विश्वविद्यालय, आरा निर्देशक**
***सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग, वीर कुँवर सिंह, विश्वविद्यालय,आरा।**



शिक्षक को विद्यालयों में समस्यात्क एवं अपराधी बालक भी मिलते हैं। ऐसे बालक गलत कामों जैसे–चोरी, मारपीट, तोड़–फोड़, अनुशासनहीनता आदि में अपनी शक्ति लगा देते हैं। ऐसे बालकों को शारीरिक दंड देने से उनमें सुधार नहीं हो पाता। आवश्यक्ता इस बात की है कि अध्यापक इस बात को पता लगायों कि बालकों के ऐसे व्यवहार का क्या कारण है? जब कारण का सही–सही पता लग जाता है तो उन्हें सही रास्ते पर लाने में आसानी होती है। इस प्रकार समस्यात्क बालकों के व्यवहार के निदान तथा निदान हो जाने पर सुधारात्मक उपाय करने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की बहुत सहायता करता है।

पाठ्यचर्या रचना में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत उपयोगी है। पाठ्यचर्या छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। उसका निर्माण छात्रों के शारीरिक, मानसिक, तथा सामाजिक विकास के अनुकूल होना चाहिए। इसमें पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त वे सभी पाठ्य सहगामी क्रिया–कलापः खेलकूद पी.टी. योगासन, एन सी.सी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभिनय, वाद–विवाद इत्यादी जो बालक के सर्वागीण विकास में सहायक हैं, होने चाहिए। इस दृष्टि में कौन से आयु–वर्ग के लिए के लिए कौन सा विषय और कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त होंगे, उसका निर्धारण करने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है।

शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों की प्रगति के मापन एवं मूल्यांकन में भी बहुत उपयोगी है। बालक ने कितना सीखा, इसका सही–सही ज्ञान होने से अध्यापक को एक ओर जहाँ अपनी शिक्षण विधि–में सुधार करने का अवसर मिलता है, वहीं प्रगति के ज्ञान से बालकों को पढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। प्रगति अथवा उपलब्धि का माप बिल्कुल शुद्ध रूप से हो सके, उसके लिए नवीन, प्रकार के सुधरे हुए परीक्षणों का निर्माण होने लगा है। शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी से शिक्षकों को अवगत कराता है।

व्यक्ति और वातावरण में हमेसा परस्पर अन्तः क्रिया चलती रहती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। कुछ आवयकताऐं पूरी हो जाती है। कुछ ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं जो पुरी नहीं हो पाती। वातावरण में उपस्थित अवरोध या रूकावट आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग में बाधा बन खड़ी हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की आवश्यकताओं और वातावरण की परिस्थितियों में सघंर्श होने लगता है। इस संघर्श में सफल होना ही–समायोजन है। समायोजन में व्यवधान होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षको सुझाव देता है कि किस प्रकार के छात्रों के मानसिक सवास्थ को ठीक रखने और उनके समायोजन में सहायक हो सकते है।

परामर्श और निर्देशन का दायित्व भी शिक्षक का ही है। छात्र कौन सा विषय ले, कौन सा व्यवसाय चुने, किस व्यवसाय के लिए कौन–कौन से विषय पढ़ने चाहिए, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं उपयोगी होंगी, छात्र की क्षमता क्या है, इसमें कौन–सी विशेषताएँ हैं, उसकी सीमाएँ क्या हैं आदि समस्याएँ शिक्षक के सामने आती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी प्रश्नों का समुचित समाधान प्रस्तुत करता है।[2]

एक शिक्षक को सफल होने के लिए छात्रों के सामने अपने व्यवहार द्वारा आदर्श उपस्थित करने के लिए तथा स्वंय कुण्ठा और निराशा की भावना से बचने के लिए आवश्यक है कि वह स्वंय को समझे। अध्यापन–वृति में अध्यवसाय, परिश्रम, चरित्र, आदर्श, सहानुभूति आदि गुणों की बहुत आवश्यकता है। इन गुणों से युक्त शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत कर सकता है और उनके व्यक्तिव का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हो सकता है। शिक्षक के अन्दर इन सब गुणों के विकास में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत उपयोगी है।

एक सफल शिक्षक बनने के लिए व्यक्ति को विद्यार्थियों के सामने अपने को एक भूमिका प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। अतः शिक्षक को अपनी कुण्ठा और निराशा की भावना से बचने के लिए आवश्यक है कि वह स्वंय शिक्षा मनोविज्ञान के दिशा निर्देशों का अनुसरण करे। अध्यापन वृति में विद्यार्थियों, अभिभावकों, समाज आदि के समक्ष शिक्षक को एक आदर्श के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना होता है। अध्यवसाय परिश्रम, चरित्र, आदर्श, सहानुभूति आदि गुणों के प्रतिमूर्ति के रूप में समाज उसे देखता है। इन गुणों से युक्त शिक्षक हीं अपने विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास की आकांक्षा को जागृत कर सकता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में शिक्षक स्वंय जितना सफल होगा उसी मात्रा में वह अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संर्वागीण विकास कर सकेगा।[3]

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हम यहॉ यह कहना चाहेगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता निश्चित तौर पर शिक्षक को समुचित निर्णय लेने में सदैव मददगार सिद्ध होता है। ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन ने ठीक ही कहा है ''शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक को समुचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। शिक्षक को कई रूपों में प्रतिदिन ऐसे निर्णय लेने पड़ते हे। जो छात्र, विद्यालय तथा समुदाय को प्रभावित करते हैं। निर्णय ले सकने तथा उनके अनुकूलन कार्यान्वयन करने की कला सीखना–चाहे वह योजनाबद्ध एवं सतर्कतापूर्वक हो अथवा परिस्थिति की विवशताओं के कारण हो–इस बात की अपेक्षा करता है कि शिक्षक स्वयं को, अपने शिक्षार्थी को तथा सीखने एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रियाओं को समझे। इस प्रकार के अवबोध शिक्षा मनोविज्ञान के आवश्यक अंग है। इसमें मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे तथ्य एवं सिद्धान्त चुने जाते हैं जिनका वृद्धि –विकास, सीखने एवं समायोजन की प्रक्रियाओं से सीधा सम्बंध होता है।[4]

अन्ततः यह कहना सही होगा कि भारत और पश्चात जगत में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच कड़ी का काम करता है और शिक्षक को शिक्षा के हर क्षेत्र में पारंगत बनाने में अहम भुमिका का निर्वहन करता है।

**संदर्भ ग्रंथ–सूचिः–**

1. कल्पलता पाण्डेय एवं एस.एस. श्रीवास्तवः शिक्षा मनोविज्ञान (भारतीय एवं पाश्चात्य) दृष्टि–पृ0–30
2. वहीं– पृ0– 31 3. वहीं–पृ0–32
4. ब्लयेर जोन्स और सिम्पसन–शिक्षा मनोविज्ञान (न्युयार्क)

****

# भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ0 अम्बेडकर का योगदान : एक अध्ययन

**डॉ0 नवीन कुमार चौधरी ***

**सारांश**

भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है।[1]भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।[2]

संविधान निर्माण करने में डॉ0 अंबेडकर का अतुलनीय योगदान रहा है। अस्वस्थ होने के बाद भी इतने कम समय (2 वर्ष 11 महीना 18 दिन) में संविधान बनाकर उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। वह उनका विधि व कानूनी ज्ञान ही था कि कांग्रेस व गांधी के कटु आलोचक होने के बाद भी उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने देश का पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को, अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया।[3] अंबेडकर ने मसौदा तैयार करने के इस काम में अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की प्रशंसा अर्जित की। इस कार्य में अंबेडकर का शुरूआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन बहुत काम आया। संघ रीति में मतपत्र द्वारा मतदान, बहस के नियम, पूर्ववर्तिता और कार्यसूची के प्रयोग, समितियाँ और काम करने के लिए प्रस्ताव लाना शामिल है। संघ रीतियाँ स्वयं प्राचीन गणराज्यों जैसे शाक्य और लिच्छवि की शासन प्रणाली के निर्देश (मॉडल) पर आधारित थीं। अंबेडकर ने संविधान को आकार देने के लिए पश्चिमी मॉडल इस्तेमाल किया है। ब्रिटिश, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस सहित विभिन्न देशों के संविधान से प्रावधान लिए,परन्तु उसकी भावना भारतीय है। अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान पाठ में संवैाानिक गारंटी

***शोधप्रज्ञ, इतिहास विभाग, पता–अमरूद बगान, जेल चौक (चन्दवारा)मुजफ्फरपुर–842001**